अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का.आ. 688(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 469 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मारिया सेवा संघ विल्ला मारिया,सं0 12, रेस्ट हाऊस रोड, बंगलौर-560001 द्वारा बंगलौर के तीन स्कूलों में मध्याहन भोजन स्कीम की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997--98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 317 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं0सां0आ0 552 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सात वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मारिया सेवा संघ, विल्ला मारिया, सं0 12, रेस्ट हाऊस रोड, बंगलौर-560001 द्वारा बंगलौर के तीन स्कूलों में चलाई जा रही मध्याहन भोजन स्कीम की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से एक कर निर्धारण वर्ष की आगे की अवधि के लिए मात्र पन्द्रह लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 151/2003/फा. सं. एन.सी.-81/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)